	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर / दिनांक
8.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ-पत्र पेश किया। तहसीलदार, रूपवास से रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली है पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक-29 PTD के प. नं. 322/399 मु. नं.-37 के किला नं. 1 ता 25 का कुल 6.325 हैक्टर रकबा चंडीराम पुत्र सरदाराराम जाति हरिजन लेकिन खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी नायकराम ने जाति चमार के स्थान पर नायक दुरुस्त करवाने हेतु आवेदन किया है। बहाली आवंटन कोड-160/30.6.1998 में जाति नायक दर्ज है परन्तु हुकमन बहाली नामान्तरण सं.-42 दिनांक 20.4.2000 में जाति हरिजन दर्ज है। खातेदारी नामान्तरण सं.- 80/ 8.2.2007 में जाति हरिजन दर्ज है तथा मुताबिक बहाली कोड चंडीराम पुत्र सरदारराम जाति नायक की जानी उचित है की अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण, चंडीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी के पिताजी की जाति नायक प्रतीत होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ह०	अ.नि. नायकराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.07 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी नम्बर
	:आदेश:- अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पिता स्व. चंडिराम के नाम तहसील अनूपगढ़ के चक 29 APD का मु. नं. -37 प. नं. 322/399 में 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता स्व. चंडिराम की जाति "चमार" की जगह "नायक" एतद् द्वारा दुरुस्त की जाती है। तहसीलदार अनूपगढ़ उक्त दुरुस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास दिनांक 18/8/22 को सुनाया गया। (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.07 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested